न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **43 / 2018 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री नवरतनमल पिता पूरणमल जोशी नि0 11/473 , जोशी भवन, चर्च रोड़, आजाद नगर, भीलवाडा	**बनाम**	1.लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 14/06/2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 22. 05..2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 04.04.2018 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/–रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 921169 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 04.04.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 25/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द ने अपने पत्रांक/रीडर/2018/918 दिनांक 11.06. 2018 से प्रत्युत्तर प्रेषित कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैर खातेदारी से खातेदारी की पत्रावली की नकल चाही गई। चूंकि सम्बन्धित प्रकरण तहसीलदार आसीन्द से सम्बन्धित होने से अपने पत्रांक 568 दिनांक 04.04.2018 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को वांछित नकल उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया उसकी प्रति इसके साथ संलग्न की। साथ ही तहसीलदार आसीन्द के द्वारा वांछित नकलें अपने पत्रांक/रीडर/2018/4262–63 दिनांक

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

08.06.2018 से सूचना प्रेषित की गई जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की है। उक्त सूचना अपीलार्थी को प्राप्त होना वक्त न्यायालय में उपस्थित हो स्वयं अपीलार्थी ने स्वीकार किया। उक्त पत्र की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई। चूंकि अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है ऐसी स्थिति में अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी उपस्थित जिनके द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि सूचना निःशुल्क प्राप्त हुई है परन्तु विलम्ब से दी गई है। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 04.04.2018 में अंकित सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क प्राप्त हो चुकी है जिसे स्वयं अपीलार्थी ने प्राप्त होना स्वीकार किया है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 04.04.2018 को समयावधि में तहसीलदार आसीन्द को उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत स्थानानतरित किया जा चुका था । तहसीलदार आसीन्द के द्वारा नियत समय सीमा में सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई परन्तु विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराई वह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने से अपील में कोई सार नहीं रहता है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करादी जाने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 14/06/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
अपीलेट अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
भीलवाड़ा